



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

विपणन एवं प्रचार
प्रधान कार्यालय, लोकमंगल
1501, शिवाजी नगर, पुणे- 411 005

020- 25614366

cmmedia@mahabank.co.in; media@mahabank.co.in

प्रेस विज्ञप्ति

04.04.2020

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आरएलएलआर में 75 बीपीएस और एमसीएलआर में 25 बीपीएस की कमी की

पुणे, 4 अप्रैल, 2020: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम), देश के एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दर में 75 बीपीएस की कटौती को बाहरी बेंचमार्क से लिंक किए गए अर्थात; रेपो से लिंक किए गए उधार दर (आरएलएलआर) का पूरा लाभ दिनांक 7 अप्रैल, 2020 से अपने उधारकर्ताओं को देने का निर्णय लिया है।

अब आरएलएलआर से लिंक किए गए सभी रिटेल ऋण (आवास, शैक्षणिक, वाहन), एमएसएमई ऋण कम दरों में उपलब्ध होंगे। इससे रिटेल और एमएसएमई उधारकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

बैंक ने अपने सीमांत लागत निधि आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) को भी सभी अवधियों के लिए मौजूदा स्तरों से 25 बीपीएस तक दिनांक 07 अप्रैल 2020 से कम कर दिए हैं। बैंक ने अपने ओवरनाइट, एक माह और तीन माह की अवधियों के एमसीएलआर को घटाकर 7.50% (7.60% से), 7.60% (7.70% से) और 7.70% (7.75% से) कर दिया है। छह महीने की एमसीएलआर दरों को संशोधित करके 7.80% (7.90% से घटाकर) और एक वर्ष के एमसीएलआर को 8.00% (8.25% से घटाकर) कर दिया है।

बैंक के एमसीएलआर में इस कमी का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास में सहयोग करना तथा दर का लाभ पहुंचाना है।